150

संख्याः– 2504 / III(2)/11–09(प्रा0आ0)/2006 टी0सी0–1

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई, 2011

विषयः– **अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में नौंगाव–स्यूरी मोटर मार्ग के किमी0 3 से क्वाडी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में शासनादेश संः–3318 / III(2)/06–09(प्रा0आ0)/2006 टी0सी0–1 दिनांक 12–12–2006 के संलग्नक में क्रमांक–19 के अनुसार स्वीकृत मोटर मार्ग "जनपद उत्तरकाशी में दिल्ली–यमुनोत्री मोटर मार्ग के केसरी खड्ड से क्वाडी गांव तक लम्बाई 6.00 किमी0 तथा लागत ₹ 132.00 लाख" की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांकः–1029 / 1(144)याता0–पर्व0 / 2010 दिनांक 09–10–2010 द्वारा प्रथम चरण के कार्यो के लिये उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन जनपद उत्तरकाशी में नौंगाव–स्यूरी मोटर मार्ग के किमी0 3 से क्वाडी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण लम्बाई 6.00 किमी0 तथा लागत ₹ 75.60 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 75.60 लाख (₹ पचहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में धनराशि ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) के व्यय की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किय जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश संः– 1764 / III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कं जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण क कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दर को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदा न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोज विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्मा विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चि करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों तथा बजट मैनुअल के उल्लिखित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सं0–30–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–05 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 153/XXVII/(2)/2011 दि0: 11 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:– 2504 (1)/III(2)/11–09(प्रा0आ0)/2006 टी0सी0–1 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/उत्तरकाशी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, षष्टम् वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 बड़कोट।
10. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव